


15/12/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारिता
हाजिर नहीं आये हैं। आज न्यायालय
में गैर-लीन बंद आवेजें लगावार्थ पर
भी हाजिर नहीं आये व पत्रावली
आदेश-9, नियम-3 जापत दीवानी
के अंतर्गत अदम हाजिरी व अदम
पैरकी में एतद्वारा स्वाकिए की जाति
है। पत्रावली फॉर्मल सुनार की जाकर
नंबर से कम लेखर बाखिला हफतार
है। आदेश सुले न्यायालय में
सुनारा जाकर गैर छपताथर व
न्यायालय सुनार में जारी किया
गया।


सहायक कलेक्टर
सागर लेक (जयपुर)

